

2020

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को उपस्थित  
कराया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी  
महोदय वीर, अकाश/अन्य तथ्यांक रखते हैं  
पत्रावली दिनांक 20.10.20 को पेश की है।

20.10.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है।  
प्रार्थना पत्र वास्ते रिक्वरी किये जाने के सम्बन्ध  
में प्रार्थना पत्र पर बहस का अवसर चाहेते हैं।  
अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस 30 फरवरी  
दिनांक 27-11-2020 को पेश है।

27/11/20

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को उपस्थित  
कराया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी  
महोदय अकाश में तथ्यांक रखते हैं  
पत्रावली दिनांक 3/3/21 को पेश की है।

3.3.21

वकील प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 3.6.21  
को पेश हो।

3.6.21

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान  
पीठासीन अधिकारी महोदय वीर/ अकाश/अन्य  
तथ्यांक में तथ्यांक रखते हैं। पत्रावली दि. 15-9-21  
को पेश है।

15-9-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत  
कैम्प खानपुरा में दि. 11.10.21 को पेश है।

11.10.21

पत्रावली कैम्प खानपुरा में पेश हुई। पक्षकारान  
के मौखिक वाद तामील संलग्न है। प्रार्थी उपस्थित  
नहीं है। अप्रार्थी मेवालाल उपस्थित है। उपस्थित  
पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र रिक्वरी सुनी गई।  
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया  
गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तामील  
मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

मेवालाल

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवां (बून्दी)

प्रशासन गांवों के  
संग अभियान 2021  
कैम्प कोर्ट  
नोटिस जारी

